भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1520
10 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

सैन्य कैंटीन

1520. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकरः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) में बिक्री के लिए वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है और उक्त कैंटीन से वस्तुओं की खरीद के लिए कौन व्यक्ति अधिकृत है;

(ख) क्या उक्त कैंटीनों में खरीदारी के लिए अधिकृत ग्राहकों के पहचान पत्र का दुरूपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में रोजाना ऐसे पता लगाए गए मामलों की औसत संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इस तरह के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) मुंबई, अमृतसर, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और गाजियाबाद के प्रमुख बिक्री केंद्रों/स्टोर में दैनिक आपूर्ति और बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मालवाहक एजेंसियों द्वारा माल की आपूर्ति के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(च) वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली प्रमुख मालवाहक एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त एजेंसियों द्वारा गड़बड़ी के कितने मामले सूचित किए गए हैं/ पकड़े गए हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) में मदों की आपूर्तियों के लिए अपनाए गए मानदंड का आवश्यक प्रपत्रों सहित ब्यौरा सीएसडी वेबसाइट (www.csdindia.gov.in) पर दिया गया है।

सीएसडी से खरीद के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों में सशस्त्रबल कार्मिक (सेवारत और सेवानिवृत्त) और रक्षा सिविलियन (सेवारत और सेवानिवृत्त) शामिल हैं।

(ख) और (ग): सीएसडी कैंटीन कार्डों का दुरूपयोग रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) प्रत्येक स्मार्ट कार्ड पर पात्र व्यक्ति (स्वयं/पत्नी/पति या आश्रित) का फोटो उत्कीर्ण है और यूआरसी में प्रवेश और बिलिंग तथा निकास के समय इसकी जांच की जाती है।

(ii) इस स्मार्ट कार्ड में एक पिन नं. है जिसे अनधिकृत कार्मिक के साथ शेयर न करने की उम्मीद की जाती है।

उपर्युक्त के मद्देनजर सीएसडी पहचान पत्र के दुरूपयोग के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ): पूरे देश में 3616 यूआरसी हैं। इन यूआरसी की बिक्री की निगरानी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्थापनाओं द्वारा गठित प्रबंधन समितियों द्वारा की जाती है।

(ड़) और (च): यूआरसी को सीएसडी डिपो से स्टोर्स से संबंधित कलेक्शन के लिए परिवहन हेतु अपने साधनों का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

सीएसडी डिपो से स्टोर्स से संबंधित कलेक्शन के लिए कोई गुड्स कैरियर एजेंसियां निर्धारित नहीं की गई हैं। विगत तीन वर्षों में किसी यूआरसी द्वारा किसी परिवहन प्रबंधक द्वारा किसी धोखेबाजी/नुकसान के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

******